बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या:DoH/CS/04/2025–पी०पी०एम०– 191–/कृ० पटना, दिनांक – 07.01. 2026

शुद्धि–पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या DoH/CS/04/2025 पी.पी.एम.–128 दिनांक 29.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार हेतु कुल 1246.80 लाख (बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु विपत्र बनाने के लिए स्वीकृत्यादेशों के राज्यांश मद की सम्पूर्ण कोटिवार स्वीकृत राशि को उसी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रांश मद के संबंधित कोटि में अंतरित कर समाहित करने हेतु शुद्धि पत्र संख्या–122 दिनांक–29.08.2025 तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–3210 दिनांक–30.06.2025 तथा अधिसूचना ज्ञापांक–3211 दिनांक–30.06.2025 द्वारा विभिन्न जिलों में जिला उद्यान पदाधिकारियों के पदस्थापन के आलोक में स्वीकृत्यादेशों में स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अंकित सहायक निदेशक उद्यान को जिला उद्यान पदाधिकारी से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र संख्या–144 दिनांक–22.09.2025 निर्गत किया गया था।

3. स्वीकृत्यादेश की कंडिका–15 में निहित कार्यान्वयन के आलोक में राशि संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को SNA Sparsh Module के माध्यम से अनुसूची–3 के अनुसार भेजा जाना था, किन्तु केन्द्रांश आवंटन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी के CFMS Head में भेजा गया है, जिससे संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी राशि को व्यय करने में असमर्थ हैं। SNA Sparsh Module में राशि के प्रवाह हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला उद्यान पदाधिकारी सम्मिलित नहीं होने के कारण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार को प्राधिकृत किये जाने की आवश्यकता है।

4. उक्त के आलोक में मूल स्वीकृत्यादेश की कंडिका–18 में निहित आदेश के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–15 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

कंडिका संख्या	विवरणी	संशोधित विवरणी
15	योजना का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–2 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन तथा अनुसूची–3 के अनुसार क्रमशः केन्दांश एवं राज्यांश मद में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। अनुसूची–3 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी की जाएगी, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे।	योजना के केन्द्रांश हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे, जबकि राज्य योजना मद (टॉप–अप) हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा केन्द्रांश की राशि अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को Virtual Allotment के तहत तथा राज्य योजना मद (टॉप–अप) की राशि संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को आवंटित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–3 के अनुसार केन्द्रांश एवं टॉप–अप (राज्य मद) में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा केन्द्रांश की राशि के विरूद्ध Claim Raise करने के उपरान्त Reporting Office (उद्यान निदेशालय, बिहार) द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र,कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र, कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या–DoH/CS/04/2025 पी.पी.एम.–128 दिनांक 29.08.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए, शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी०एम०- 191 - /कृ० पटना, दिनांक – 07. 01. 2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी० एम०- 191 - /कृ० पटना, दिनांक – 07 . 01. 2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी०एम० - 191 - /कृ० पटना, दिनांक – 07. 01. 2026

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी० एम०- 191 - /कृ० पटना, दिनांक – 07 . 01 2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी०एम०- 191 - /कृ० पटना, दिनांक – 07 . 01. 2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/निदेशक, डिजीटल कृषि–सह–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक कृषि विपणन, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/CS/04/2025– पी०पी०एम०- 191 – /कृ० पटना, दिनांक – 07 . 01. 2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।